Railway Recruitment Cell Eastern Railway 56, C.R. Avenue Kolkata-700012

Notice No. RRC/ER/Act Apprentice/2020-2021 (108)

dated 18/07/2022

IMPORTANT NOTICE FOR ELIGIBLE CANDIDATES-Document Verification for Training of Act Apprentice -2020-2021

योग्य उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना-अपरेंटिस प्रशिक्षण के लिए दस्तावेज़ सत्यापन - 2020-2021

Notification No. RRC/ER/Act Apprentice/2020-2021

This is to inform that the Document Verification (DV) for engagement of Act Apprentice for training in designated units of Eastern Railway (in terms of Act Apprentice Act 1961 and Apprenticeship Rules, 1992) against Notification No. RRC/ER/Act Apprentice/2020-2021 is scheduled to be held on and from 25/07/2022 to 17/08/2022 at Kanchrapara Workshop as per the schedule finalized by these units. The schedule is attached with this notice.

The e-call letter of DV can be downloaded by the candidates for Kanchrapara Workshop from 20.07.2022 to 17.08.2022 till 09.30 Hrs. Eligible candidates are requested to download e-call letter for DV from the link, provided on RRC-ER on Notice Board of its website-www.rrcer.com Kolkata.

The candidates are also being informed through email in registered email id and message in registered mobile number as filled up by the eligible candidate in the online application.

The schedule of DV is final, and the candidates are instructed to attend the DV on allotted day and session as mentioned in the e-call letter, along with their original documents. Generally the prayer for rescheduling of the DV will not be entertained by RRC-ER and the concerned unit would decide the matter, if any exceptional circumstances arise.

The detailed instructions as indicated in the Notification No. RRC/ER/Act Apprentice/2020-2021 should be followed. The instructions attached with this notice should also be followed scrupulously, otherwise the candidature of the candidate will be cancelled and no appeal would be considered.

It is stated that the DV schedule of Jamalpur Workshop (for Jamalpur, Asansol and Malda) and of Liluah Workshop (for Liluah and Howrah) will be intimated shortly.

Hindi translation and instructions to candidates are followed.

In case of any dispute in Hindi version, the English version of notice and instruction stands.

HINDI TRANSLATION/हिंदी अनुवाद

योग्य उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना-अपरेंटिस प्रशिक्षण के लिए दस्तावेज सत्यापन - 2020-2021 अधिस्चना संख्या आर आर सी/ई आर/ अधिनियम अपरेंटिस/2020-2021

यह सूचित किया जाता है कि अधिसूचना संख्या आरआरसी / ईआर / अधिनियम अपरेंटिस / 2019 के खिलाफ पूर्व रेलवे की नामित इकाइयों में प्रशिक्षण के लिए दस्तावेज सत्यापन (डीवी) (अधिनियम अपरेंटिस अधिनियम 1961 और शिक्षुता नियम, 1992 के अनुसार) 25/07/2022 से 17/08/2022 तक कांचरापाड़ा कार्यशाला में आयोजित होने वाला है।इन इकाइयों द्वारा दिए गए कार्यक्रम इस नोटिस के साथ संलग्न है।

उम्मीदवार डीवी (DV) का ई-कॉल लेटर 20.07.2022 to 17.08.2022 तक 09.30 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि डीवी के लिएअपनी ई-कॉल लेटर आर आर सी –ईआर वेबसाइट www.rrcer.com कोलकाता के नोटिस बोर्ड पर दिए गए लिंक से डाउनलोड करें।

योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा भरे गए पंजीकृत ईमेल आईडी में ईमेल के माध्यम से और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल / संदेश के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।

DV का शेड्यूल अंतिम है, और उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने मूलदस्तावेजों के साथ आवंदित दिन और सत्र में DV में शामिल हों, जैसा कि ई-कॉल लेटर में उल्लेख किया गया है।आमतौर पर डीवी के पुनर्निर्धारण के लिए प्रार्थना पर आर आर सी-ईआर द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित इकाई मामले का फैसला करेगी।

अधिसूचना संख्या आरआरसी/ईआर/अधिनियम अपरेंटिस/2020-2021 में दर्शाए गए विस्तृत निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इस नोटिस के साथ नीचे संलग्न निर्देशों का भी ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह कहा गया है कि जमालपुर कारखाना (जमालपुर, आसनसोल और मालदा के लिए) और लिलुआ कारखाना (लिलुआ और हावड़ा के लिए) की डीवी अनुसूची शीघ्र ही सूचित की जाएगी।

हिंदी संस्करण में किसी भी विवाद के मामले में, नोटिस और निर्देश का अंग्रेजी संस्करण मान्य है।

Sd/-Chairperson Railway Recruitment Cell <u>Eastern Railway/Ko</u>lkata

INSTRUCTION TO CANDIDATES FOR DOCUMENT VERIFICATION दस्तावेज़ सत्यापन के लिये उम्मीदवारों को निर्देश

NOTIFICATION NO. RRC-ER/Act Apprentices/2020-2021 सूचना सं. आरआरसी-ईआर/एक्ट अपरेटिस/2020-2021

Candidate shall carefully read the instructions given below and refer the detailed instructions uploaded on the RRC-ER official website and follow them scrupulously. Failure to comply with the instructions may lead to cancellation of their candidature.

उम्मीदवार नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आरआरसी-ईआर आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए विस्तृत निर्देशों को देखें और उनका ईमानदारी से पालन करें। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रदद की जा सकती है।

- 1. No representative will be allowed instead of the eligible candidates to appear in DV.NO companions are permitted, both for male and female candidates, at the DV venue. DV में उपस्थित होने के लिए पात्र उम्मीदवारों के बजाय किसी भी प्रतिनिधि को अनुमित नहीं दीजाएगी। DV स्थल पर पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए किसी साथी की अनुमित नहीं है।
- 2. Candidate is instructed to download and take clear printout (front and back pages) of this e- call letter from the website. Call letter will not be sent to candidate by post. उम्मीदवार को निर्देश दिया जाता है कि वे वेबसाइट से इस ई-कॉल पत्र का स्पष्ट प्रिंट आउट (फ्रंट और बैक पेज) डाउनलोड करें और लें। उम्मीदवार को डाक द्वारा कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।
- 3. The candidates will not be allowed to enter for Verification of Documents without producing DV call letter in original. Preserve the call letter carefully as no photocopy of F.I.R. for loss will be entertained as a substitute. This call letter is not transferable. उम्मीदवारों को मूल रूप से डीवी कॉल लेटर प्रस्तुत किए बिना दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर को सावधानी से सुरक्षित रखें क्योंकि एफ.आई.आर. की कोई फोटोकॉपी नहीं है। नुकसान के लिए एक विकल्प के रूप में मनोरंजन किया जाएगा। यह बुलावा पत्र हस्तांतरणीय नहीं है।
- 4. You are instructed to bring following documents.आपको निम्नलिखित दस्तावेज लाने का निर्देश दिया जाता है: -

- i) 10 Copies of photographs which you had uploaded at the time of filling up of online application तस्वीरों की 10 प्रतियां जिन्हें आपने ऑनलाइन आवेदन भरने के समय अपलोड किया था।
- ii) 02 copies of the following documents self attested or attested by a Gazetted Officer alongwith the ORIGINAL of the same. स्वअभिप्रमाणित/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेजों की 02 प्रतियां, उसी के मूल के साथ।
- a)Admit Card, Mark Sheet and Certificate of Secondary Examination.माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र, अंक पत्र और प्रमाण पत्र
- b)Admit Card, mark Sheet and Certificate of ITI Examination.आई टी आई परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र और प्रमाण पत्र
- c)Caste Certificate/Community Certificate as per reservation claimed, if any, while applying online.जाति प्रमाण पत्र समुदाय प्रमाण पत्र /आरक्षण के अनुसार दावा किया है, यदि कोई हो, ऑनलाइन आवेदन करते समय।
 - d) Voter Identity Card (Both sides) मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ)
 - e) Aadhar Card (Both sides) आधारकार्ड (दोनों तरफ)
 - f) PAN Card (Both sides) पैनकार्ड (दोनों तरफ)
 - g) Candidates are also advised to submit the abovementioned documents in 2(two) sets i.e. each set will contain one copy of all the above mentioned documents. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त दस्तावेजों को 2 (दो) सेटों में जमा करें, अर्थात प्रत्येक सेट में उपरोक्त सभी दस्तावेजों की एक प्रति होगी।
 - iii)One Medical Certificate is to be necessarily submitted, issued by Government Authority Doctor(Gaz.) not below the rank of Asstt. Surgeon of Central/State Hospital in the prescribed format as per Apprentices Act., 1961 andPara-4 of apprentices Rules, 1992.

आवश्यक रूप से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जो सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।जो सरकारी प्राधिकारी/डॉक्टर-सहायक के पद से नीचे नहीं है और राजपत्रित है।जो शिक्षु अधिनियम, 1961 और प्रशिक्षुनियम, 1992 के पैरा-4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय / राज्य अस्पताल के सर्जन है।

- iv)The candidates should also submit in writing on first page of each set, the following information. उम्मीदवारों को प्रत्येक सेट के पहले पृष्ठ पर लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी भी प्रस्तुत करनी चाहिए।
- a) Name, address & Phone number of the candidate उम्मीदवार का नाम, पता और फोन नंबर
- b)Name, address with PIN Code. and Nearest Railway Station of Schools and College or Institution from where he/she has studied पिन कोड के साथ नाम, पता और स्कूल और कॉलेज या संस्थान का निकटतम रेलवे स्टेशन जहां से उसने पढ़ाई की है।

- c) Address with PIN Code. of the Issuing Authority of Caste Certificate, if any.जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के पिनकोड के साथ पता, यदि कोई हो।
- 5. Column Nos. 10 to 11 of PART A of e-call letter should be left blank and can only be filled up in the presence of invigilator at DV Venue.
- 6. ई-कॉल लेटर के भाग -ए के कॉलम संख्या 10 से 11 को खाली छोड़ दिया जाना चाहिए और केवल डीवी स्थल पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ही भरा जा सकता है।
- 7. The candidature of the candidate will be summarily rejected by writing in capital letters in the Column Nos. 10 to 11 of PART—A of e-call letter, as running hand writing is mandatory/required. Signature should be exactly the same as in the application form. Candidate has to carefully offer left thumb impression on the attendance sheet. उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा यदि वह ई-कॉल लेटर के भाग -ए के कॉलम संख्या 10 से 11 में बड़े अक्षरों में लिखता है, निरंतर रूप में हस्तलेखन अनिवार्य/आवश्यक है । हस्ताक्षर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आवेदन पत्र में है। अभ्यर्थी को उपस्थित पत्रक पर ध्यान से बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
- 8. The PART A (top portion) of the e-call letter must be handed over to the Railway officials, after completion of the DV. डीवी के पूरा होने के बाद, ई-कॉल लेटर का भाग ए (शीर्षभाग) रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए।
- 9. * ALL ESM candidates have to necessarily bring their Caste Certificate(if any), ESM Booklet and Pension papers in original and Xerox copies of the same duly attested by Gazetted Officer. सभी ई एस एम उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से अपने जाति प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), ई एस एम बुकलेट और पेंशन के कागजात मूल और जेरोक्स प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित करना होगा।
- 10. * All PWD candidates have to necessarily bring their Caste Certificate (if any), PWD certificate in original and Xerox copies of the same duly attested by Gazetted Officer. सभी पी डब्ल्यू डी उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से अपना जाति प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), पी डब्ल्यू डी प्रमाण पत्र मूल में और उसकी जेरोक्स प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित करनी होंगी।
- 11. In case of any discrepancy/variation of important details of candidate, in the e-call letter, the candidate must contact the HELP/support number with valid identity proof and DV call letter, at least 3 days before the date of his/her DV.उम्मीदवार के ई-कॉल लेटर में महत्वपूर्ण विवरणों में किसी भी विसंगति/भिन्नता के मामले में, उम्मीदवार को अपने DV की तारीख से कम से कम 3 दिन पहले वैध पहचान प्रमाण और DV कॉल लेटर के साथ सपोर्ट नंबर पर संपर्क करना चाहिए।
- 12. Candidates should also carefully note the following. उम्मीदवार निम्नलिखित को भी ध्यान से नोट करें।
 - a. E-call letter is only a permission to appear for the DV and in no way guarantees engagement of the candidate for training. Issuing this E- call 5 of 9 pages IMPORTANT NOTICE

Document Verification for Training of Act Apprentice - 2020-2021

letter does not in any way indicate that RRC ER, KOLKATA is otherwise satisfied with online application form, details and documents. कॉल लेटर केवल DV के लिए उपस्थित होने की अनुमित है और किसी भी तरह से गारंटी नहीं देता है। इस ई-कॉल लेटर को जारी करना किसी भी तरह से यह नहीं दर्शाता है कि आर आर सी /ई आर, कोलकाता अन्यथा ऑनलाइन आवेदन पत्र, विवरण और दस्तावेजों से संतुष्ट है।

- b. Candidate is hereby informed that the number of candidates being called for DV is the total candidates declared eligible by the units. Hence, merely qualifying in DV does not entitle a candidate, for inclusion in the next stage of selection process and the next stages of selection process for training is guided by extant rules only. उम्मीदवार को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि DV के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या इकाइयों द्वारा योग्य घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या है। इसलिए, केवल DV में अर्हता प्राप्त करने से कोई उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने का हकदार नहीं हो जाता है। और चयन प्रक्रिया के अगले चरण केवल मौजूदा नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं।
- c. DV का परिणाम भी यथा समय आर आर सी-ईआर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आर आर सी-ईआर की आधिकारिक वेबसाइट देखें और बेईमान तत्वों और दलालों द्वारा डाली गई नकली वेबसाइट से सावधान रहें। The result of DV would also be uploaded on the official website of RRC-ER in due course. Candidates are advised to beware of fake website put up by unscrupulous elements and touts.
- d. Candidates finally enlisted would be engaged for training subject to be found fit in appropriate Medical standard.अंतिम रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों को उपयुक्त चिकित्सा मानक में फिट पाए जाने के अधीन रखा जाएगा
- e. Candidates should also keep checking the Notice Board of RRC ER Kolkata website for latest updates and keep their registered mail id/mobile no. in working condition, till the finalization of all stages. उम्मीदवारों को नवीनतम अपडेट के लिए आर आर सी/ ईआ /कोलकाता वेबसाइट की जांच करते रहना चाहिए और सभी चरणों के अंतिम तक, अपना पंजीकृत मेल आईडी / मोबाइल नंबर काम करने की स्थिति में रखना चाहिए।
- f. Impersonation/malpractice/indiscipline in the DV will disqualify the candidate and he/she will be debarred from all future railway training. Candidate is also liable to be prosecuted under law. डीवी में प्रतिरूपण / कदाचार / अनुशासन हीनता उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगी और उसे भविष्य के सभी रेलवे प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार पर कानून के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

- g. The decision of the Railway administration in regard to acceptance or otherwise of any candidature even without assigning any reason or in regard to selection of the candidates and their training will be final.िबना कोई कारण बताए किसी भी उम्मीदवारी/आवेदन को स्वीकार करने या अन्यथा के संबंध में या उम्मीदवारों के चयन और उनके प्रशिक्षण के संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
- h. In case of Administrative exigency, the venue/date/time of DV may be changed for all/some of the candidates. प्रशासनिकअत्यावश्यकताकेमामलेमें, डीवीं का स्थान /तिथि/समय, सभी/ कुछ उम्मीदवारों के लिए बदला जा सकता है।
- i. No hostel accommodation will be provided and selected candidates will have to make their own arrangement during their training as per Apprenticeship Act, 1961 and they will be released on completion of the training.कोई होसटल/ आवास प्रदान नहीं किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी और उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर रिहा कर दिया जाएगा।
- As per the Act. Apprentices, it is NOT obligatory on the part of the Railways to offer any employment to the Apprentices on completion of their Apprenticeship Training. Accordingly, the Act Apprentices who will be imparted training in Railway establishments, will have no claim to seek employment on Railways on the basis of such training.

अपरेंटिस अधिनियम के अनुसार, रेलवे की ओर से अपरेंटिस प्रशिक्षण पूरा होने पर अपरेंटिस को किसी भी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं है। तदनुसार, अधिनियम। रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्रदान करनेवाले प्रशिक्षुओं का इस तरह के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा।

COVID PROTOCOL - TO BE FOLLOWED DURING DOCUMENT VERIFICATION कोविड प्रोटोकॉल – दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पालन किया जाना चाहिए

1. Candidates should wear mask and must maintain social distancing starting from point of entry in the DV venue till his/her exit from the DV venue. Without proper mask, entry in DV centre will not be permitted. उम्मीदवारों को मास्क पहनना चाहिए ,DV स्थल में प्रवेश के स्थान से DV स्थल से बाहर निकलने तक सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए मास्क के बिना DV सेंटर में प्रवेश की अनुमित नहीं होगी।

- 2. Candidate must bring their own Mask, personal hand sanitizer (50ml), transparent water Bottle, a simple pen and the DV related documents (Admit Card, ID Card etc.). No other items will be permitted inside DV venue. उम्मीदवार को अपना स्वयं का मास्क, व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइज़र (50 मिली), पारदर्शी पानी की बोतल, एक साधारण पेन और DV से संबंधित दस्तावेज (प्रवेशपत्र, आईडी कार्ड आदि) लाने होंगे। DV स्थल के अंदर किसी अन्य वस्तु की अनुमति नहीं होगी।
- 3. Temperature of candidates will be checked at the entry to the DV venue via a Thermo Gun. Only those candidates will be allowed inside the DV venue whose temperature is within the acceptability limits as approved by competent authorities. DV स्थल पर प्रवेश के समय उम्मीदवारों का तापमान धर्मोगन के माध्यम से जांचा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को DV स्थल के अंदर अनुमित दी जाएगी जिनका तापमान सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित स्वीकार्य सीमा के भीतर है।
- 4. The candidates are advised in their own interest, to have their health checked with a doctor before coming for DV. Administration would not be responsible for any health emergency/untoward incident.उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे DV के लिए आने से पहले डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें। किसी भी स्वास्थ्य आपात/अप्रिय घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5. कोविद प्रोटोकॉल का पालन करने में विफलता के कारण उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। Failure to observe Covid Protocol would immediately lead to cancellation of candidature.
- 6. RRC is not responsible for any misinterpretation / inadvertent error. In the event of any dispute about interpretation, the English version of the call letter will be treated as final. िकसी भी गलत व्याख्या/ अनजाने में हुई त्रुटि के लिए आर आर सी जिम्मेदार नहीं है। व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, कॉल लेटर के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा.

आर आर सी /ईआर आपको DV के लिए शुभकामनाएं देता है

RRC ER wishes you all the best